उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 1494/XVII(4)/2017-02/2009-TC
देहरादूनः दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर **"नन्दा गौरा योजना"** के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 निर्गत किया गया था।

2– उक्त शासनादेश संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 के प्रस्तर–2 में सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना, 2011 (SECC) के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए योजना का लाभ उन परिवारो की प्रथम 02 बालिकाओं/लाभार्थियों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में ₹ 36000/–तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 42000/– से कम हो तथा प्रस्तर–3 में जिला स्तरीय समिति में जनपद स्तर के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल पढ़ा जाय तथा प्रस्तर–5 के बिन्दु "ख" सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना, 2011 (SECC) की सूची के बदले परिवार रजिस्टर, प्रमाण पत्र पढ़ा जाय।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2017 में निहित शर्तो के अतिरिक्त ऐसे सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पैंशन भोगी सहित) तथा आयकर दाता के लाभार्थी योजना हेतु मान्य नही होंगे। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली बालिकाओं जिन्होने 8वीं से स्नातक की कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पूर्व प्राविधानो के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के साथ बालिकाओं के आवेदन पत्र विभाग को अग्रसारित किये जायेगे। उक्त योजना के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित/कार्यशील सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी बैंकों द्वारा "जीरो बैलेंस" के तहत समस्त लाभार्थियों के खाते खोले जायेंगे।

4– उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

5– यह संशोधन आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–1019/XXVII(1)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1494 (1)/XVII/2017-02/2009-TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिग सेवायें, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विम्मी सचदेवा)

अपर सचिव

संख्या: 1082/XVII(4)/2017-02/2009 TC

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 15 जून, 2017

विषय:– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्धि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– "नन्दा गौरा योजना" का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैगिंक असमानता को दूर करना, उन्हे उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सहायतित इस योजना का लाभ प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले पात्र परिवार की 02 जीवित बालिकाओं को दिया जायेगा। "नन्दा गौरा योजना" के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना, 2011 (एस0ई0सी0सी0) परिवारों को निम्नवत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी:–

क0सं0	चरण	धनराशि	माध्यम
1	जन्म के समय	₹ 5000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
2	01 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	₹ 5000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
3	कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर	₹ 5000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
4	कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर	₹ 5000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
5	कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर	₹ 5000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
6	डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण करने पर	₹ 10000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
7	विवाह के समय	₹ 16000	ई–पेमेंट के माध्यम से बैंक में
	योग	₹ 51000	

क– उक्त योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के जन्म लेते ही जीरो बैलेन्स नो क्लियरेन्स के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके माता का संयुक्त खाता खोला जायेगा। माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के साथ एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त खाता खोला जायेगा। उक्त खाता लाभार्थियों के आधार नम्बर के साथ लिंक होना चाहिए।

ख– प्रथम किस्त ₹ 5000.00 की धनराशि बालिका के जन्म लेने के तीन माह के अन्तर्गत, आवेदन करने के उपरान्त संयुक्त खाते में ई–पेमेन्ट के द्वारा भेजी जायेगी। बालिका के जन्म के प्रमाण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर एवं शहरी क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

ग– द्वितीय किस्त ₹ 5000.00 की धनराशि बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने पर संयुक्त खाते में ई–पेमेंन्ट के द्वारा भेजी जायेगी तथा इसके लिये 01 वर्ष के अन्तर्गत निर्धारित टीकाकरण पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घ.– तृतीय किस्त ₹ 5000.00 की धनराशि आठवी कक्षा पास करने तथा नवीं कक्षा में प्रवेश लिये जाने पर देय होगा।

ड.– चतुर्थ किस्त ₹ 5000.00 की धनराशि दसवी कक्षा पास करने तथा 11वीं कक्षा में प्रवेश लिये जाने पर देय होग

च– पांचवी किस्त ₹ 5000.00 की धनराशि बालिका को बारहवीं कक्षा पास करने तथा डिप्लोमा/स्नातक (अविवाहित) में प्रवेश किये जाने पर देय होगा।

छ– छठी किस्त ₹ 10000.00 की धनराशि बालिका को डिप्लोमा/स्नातक (अविवाहित) में प्रवेश किये जाने पर देय होगा।

ज– बालिका के विवाह के अवसर पर ₹ 16000.00 की अन्तिम किस्त देय होगी ।

झ– इस योजना हेतु जारी आय प्रमाण पत्र को उपजिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, साथ ही आय प्रमाण पत्रों में से 05 प्रतिशत की जांच यादृच्छिक रूप उपजिलाधिकारी द्वारा, 05 प्रतिशत तहसीलदार द्वारा तथा 05 प्रतिशत नायब तहसीलदार द्वारा की जायेगी।

य– इस योजना हेतु आय प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार का होगा जिसमें लाभार्थी परिवार के समस्त स्रोतो (व्यवसाय, नौकरी–संगठित या असंगठित क्षेत्र पेंशन आदि) उपलब्ध भूमि का विवरण, बैंक खातो की संख्या का ब्यौरा, उपलब्ध वाहनो के विवरणो का अंकन हो।

च– इस प्रकार जारी आय प्रमाण पत्र को आय से जोड़ा जायेगा।

3– "नन्दा गौरा योजना" के तहत लाभ दिये जाने की प्रकिया हेतु जिला स्तरीय समिति में निम्नवत् सक्षम प्राधिकारी होगें:–

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जनपद के लीड बैंक के अधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य

4– उक्त योजना हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त लाभार्थियों की सूची उक्त गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर भली भांति परीक्षण किया जायेगा। लाभार्थियों का अंतिम अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस समिति की बैठक प्रत्येक माह आहूत की जायेगी तथा विगत माह में प्राप्त समस्त पात्र लाभार्थियों को अगले माह में लाभान्वित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी। समिति द्वारा अनुमोदित सूची के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उपरान्त सूची की प्रति अनिवार्य रूप से समय–समय पर निदेशालय को भी प्रेषित की जाएगी।

5– इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित बालिका के माता–पिता को सम्बन्धित जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र कन्या के जन्म के 03 महीने के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के आवेदन पत्र समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रो/मिनी केन्द्रो तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध होंगे तथा योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होंगे:–

केन्द्रों/मिनी केन्द्रों तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध होंगे तथा योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होंगे:–

क– उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने विषयक प्रमाण उपजिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र अथवा सक्षम स्तर से जारी परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी मान्य होगी।

ख– खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकार द्वारा जारी सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 (SECC) की सूची क्रमांक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

ग– इस योजना के तहत लाभ पाने वाली कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/मातृ एंव शिशु केंद्र/ए0एन0एम0/प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा ही होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घ– शिशु (कन्या) के जन्म से पूर्व माता का पंजीकरण गर्भावस्था के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया गया हो व माता द्वारा विभागीय योजनाओं का लाभ जैसे– पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र की कार्यकत्री द्वारा दिया जाएगा।

च– यह योजना राज्य सहायतित है अतः राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन एवं आदेश मान्य होंगे।

6– कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–557/XXVII(1)/2017 दिनांक 14 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1082-(1)/XVII/2017-02/2009-TC तददिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।